Employment in Farrakka NTPC

6107. SHRI JOYANTA ROY: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the number of persons against R. A. Cases of 1980-81 in Murshidabad district, West Bengal permanently absorbed in Farrakka NTPC Limited;

(b) whether it is a fact that a large number of unemployed youth, apart from land oustee families of Farakka were engaged in Farakka NTPC as casual workers without deserving any recruitment formalities; and

(c) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI) URMILA CHIMANBHAI PATEL): (a) 106 persons have been permanently absord in the Farakka Thermal Power Station of National Thermal Power Corporation Limited (NTPC) against requisition and acquisition cases of 1980-81 in Murshidabad district, West Bengal.

(b) and (c) No, Sir. In so far as the Farakka project of NTPC is concerned, only land oustees have been considered for recruitment in the unskilled category. No person has been recruited in NTPC on a casual basis without observing the recruitment formalities.

Compensation and rehabilitation in IB Valley Project

6108. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that neither proper compensation nor rehabilitation have been provided to the land owners whose lands have been acquired by Government for the I.B. Valley Project in Orissa;

(b) if so, the details thereof: and

(c) by when they will be compensated and arrangements for their rehabilitation made?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA CHIMANBHAI PATEL): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

ऊर्जा संरक्षण समिति का प्रतिवेदन

3109. श्री अजीत जोगी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान कानून को और कड़ा बनाने के लिए गठित ऊर्जा संरक्षण समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय द्वारा ऊर्जा सवर्धन हेतु चयनित विधान मे संबंधित एक कार्यदल का गठन किया गया था । इस कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1995 में प्रस्तुत कर दी थी । इस कार्यदल द्वारा दिए गए सुझावों मे, अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल है, ऐसा कानून बनाना जिससे कि सरकार, ऊर्जा के युक्तिसंगत तथा कुशल सदुपयोग और इसके संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय कर सके, ऊर्जा संवर्धन से संबंधित विद्यमान संस्थानों को प्रोत्साहन देना, स्थापित करना तथा सशक्त बनाना, अभिज्ञात उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा समुपयोजन मानकों का निर्धारण करना, ऊर्जा लखा परीक्षा कार्य और ऊर्जा संवर्धन कार्यक्रम के लिए शक्तियां प्रदान करना, उपस्कर तथा उपकरण हेतु ऊर्जा खपत मानको का निर्धारण करना, उपस्करों तथा उपकरणों पर आवश्यक रूप से लेबल